

2018/00115

13/18
10.5.18

प्रपत्र-6

"खाता दुरुस्ती आवेदन पत्र"
(सा. भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

श्रीमान् उप खण्ड अधिकारी महोदय

~~कोटवा~~

विषय :- राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्ती के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम सारणे की गढी की जमाबन्दी

संवत् 2072-75 खाता संख्या 15 में -

प्राची का नाम सिकन्दरजी पीरा है। जबकि अन्य
समस्त पहचान दस्तावेजों व वास्तविक नाम सेवाराज
सिं पीराराज है। जो शुद्ध किया जावे।

प्र. धनी खण्डपाली पोरराज 2142246

कमाठ 8 ली इकि केवाराज मेरा ल. 3746

इसका नाम सिकन्दरजी पीरा सेवाराज है।

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

उक्त इले की छिपारिश) 8 ली है।

दिनांक :


E. S. D.


सेवाराज

प्रार्थी

सेवाराज

67

मन्नी
(मलूकखां)

सरपंच
ग्राम पंचायत कितनोरिया
प.स. धनाऊ (बाड़मेर)

13/18

10 रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

Sir. ग्रामी के आवेदन के सम्बन्ध में निवेदन है कि ग्रामी के पिता श्री पीरदा-चोखाराम की मृत्यु पश्चात् इन्हें नामान्तरकरण सं-140 में ग्रामी का नाम सिकन्दरदा पीर इर्न हो गया है। ग्रामी के पहचान दस्तावेजों में नाम सेवारामदा पीराराम है। मजमें आक आक में प्रधान अधिकारी ग्रामी का वास्तविक नाम सेवाराम ही है। ग्रामी का सिकन्दर नाम का अर्थ नहीं है। अतः ग्रामी का नाम शुद्ध कर सेवाराम किया जाना उचित है।

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

[Signature]
जवाहर

[Signature]
10/5/18

पटवारी व भू.अ. निरीक्षण अधिकारी की जांच रिपोर्ट एवं सततगन साक्ष्य दस्तावेजों के माध्यम से ग्रामी का नाम "सिकन्दर वलद पीर" के स्थान पर "सेवाराम वलद पीराराम" दुरुस्त करने की सिफारिश की जाती है।

तहसीलदार (भू.अ.) खण्ड

आदेश

तहसीलदार खण्ड, 1 UR ग्रामिया, पटवारी हल्का कि बाणेश्वर से प्राप्त जांच रिपोर्ट एवं ग्रामी द्वारा उपरोक्त के साथ पिता दस्तावेजों साक्ष्य सबूतों के आधार पर ग्रामी का नाम सिकन्दर वलद पीर के स्थान पर शुद्ध नाम "सेवाराम वलद पीराराम" दुरुस्त करने का आदेश दिया जाता है। उपरोक्तानुसार तहसीलदार खण्ड के समक्ष रकड में अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली फसल शुमार हीकर सन्मिलन दफ्तर हो।

उप खण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी

जवाहर

